



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन (0135) 2970866/ 2970867, फैक्स (0135) 2970859/ 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in



संख्या:06/विधि एवं RTI प्रकोष्ठ/सूचना का अधि०/2025-26/63

दिनांक :11.07.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:06/विधि एवं RTI प्रकोष्ठ/सूचना का अधि०/2024-25/10-16 दिनांक: 26.04.2024 के क्रम में सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) के चैप्टर II की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड हेतु **श्री अश्विनी सिंह, वरि० लेखाधिकारी को केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (बाह्य) एवं Nodal Officer (RTI Mis Portal)** नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री सुशील कुमार देवली, वरिष्ठ लेखाधिकारी/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (आंतरिक) एवं श्री अश्विनी सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (बाह्य) को परस्पर **एक-दूसरे का लिंक अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

हस्ता०/-
वरि० उपमहालेखाकार
(प्रशासन एवं निधि)

संख्या:06/विधि एवं RTI प्रकोष्ठ/सूचना का अधि०/2025-26/64-70

दिनांक:11.07.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरि० उपमहालेखाकार (प्रशासन एवं निधि) प्रकोष्ठ।
2. उपमहालेखाकार (लेखा) प्रकोष्ठ।
3. सचिव महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी (स्थानीय)।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सामान्य प्रशासन) को केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी(बाह्य) का नाम सूचनापट्ट पर दर्शाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. आई०टी०एस०जी० अनुभाग को समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी को ईमेल करने एवं Website पर अद्यतन करने हेतु।
7. सूचनापट्ट।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
(विधि एवं आर०टी०आई० प्रकोष्ठ)